


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 22, 2014/माघ 2, 1935

No. 32]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 22, 2014/MAGHA 2, 1935

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

सा.का.नि. 44(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार कर्नाटक सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) संशोधन विनियमावली, 2014 होगा ।

(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "कर्नाटक" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"कर्नाटक

राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ इयूटी पद		171
सरकार के मुख्य सचिव		1
अपर मुख्य सचिव		1
अपर मुख्य सचिव और विकास आयुक्त		1
अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग		1
अपर मुख्य सचिव, वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग		1
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग		1
अपर मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग		1
अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग		1
मुख्य निर्वाचन अधिकारी और ई/ओ प्रधान सचिव, सरकार डीपीएआर(निर्वाचन)		1
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव		1
निवासी आयुक्त, कर्नाटक भवन, नई दिल्ली		1
डीजी, एआर, एंड ट्रेडिंग, एटीआई, मैसूर		1
सरकार के प्रधान सचिव		15
प्रबंध निदेशक, बेंगलोर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड		1
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड		1
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति और जलनिकास बोर्ड		1
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड		1
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड		1
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य वित्त निगम		1
आयुक्त, बृहत्त बेंगलोर महानगर पालिका		1
सरकार के सचिव		18
वाणिज्य कर आयुक्त		1
आई जी, पंजीयक और स्टाम्प आयुक्त		1
उत्पाद-शुल्क आयुक्त		1
आयुक्त, औद्योगिक विकास तथा निदेशक, उद्योग और वाणिज्य		1
राज्यपाल के सचिव		1
सहकारी समितियों के पंजीयक और निदेशक, सहकारी लेखापरीक्षा		1
आयुक्त, खाद्य और नागरिक आपूर्ति		1
आयुक्त, परिवहन और सड़क सुरक्षा		1
आयुक्त, लोक शिक्षण, बेंगलोर		1
आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा		1
आयुक्त, कृषि		1
आयुक्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं		1
आयुक्त, वॉटरशेड विकास और ई/ओ सचिव, कृषि और बागवानी		1
श्रम, आयुक्त		1

आयुक्त, सामाजिक कल्याण	1
आयुक्त, रोजगार और प्रशिक्षण	1
सदस्य, केएटी	1
आयुक्त, बेंगलोर विकास प्राधिकरण	1
आयुक्त, कर्नाटक हाऊसिंग बोर्ड	1
आयुक्त, ग्रामीण विकास	1
आयुक्त, बेंगलोर जल आपूर्ति और जलनिकास बोर्ड	1
पंजीयक लोकायुक्त	1
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम	1
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम	1
प्रबंध निदेशक, बेंगलोर महानगर परिवहन निगम	1
सचिव, केपीएससी	1
निदेशक, कृषि विपणन	1
निदेशक, पी.यू. शिक्षा	1
निदेशक, नगरपालिका प्रशासन	1
आयुक्त, धार्मिक और धर्मार्थ निधि	1
उप सचिव, डीपीएआर (सेवाएं) डीपीएआर एवं उप सचिव (बजट एवं संसाधन) वित्त मंत्रालय	2
निदेशक, महिला एवं बाल कल्याण विभाग	1
निदेशक, आई.टी. एंड बी.टी.	1
निदेशक, कर्नाटक ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता अभिकरण तथा ई/ओ अपर/संयुक्त सचिव, सरकार आरडी एंड पीआर विभाग	1
उपायुक्त	30
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत	30
निदेशक, ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम और ईओ एस/जेएस/डीएस, सरकार आरडीपीआर विभाग	1
मिशन निदेशक, राज्य जल और स्वच्छता मिशन तथा ई/ओ एस/जेएस/डीएस, सरकार आरडीपीआर	1
निदेशक, बागवानी और निदेशक राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा ई/ओ एस/जेएस/डीएस, सरकार बागवानी विभाग	1
निदेशक, खान और भूविज्ञान तथा ई/ओ एस/जेएस/डीएस, सरकार सी एंड आई विभाग	1
प्रबंध निदेशक, राजीव गांधी ग्रामीण हाऊसिंग निगम लिमिटेड	1
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य राजमार्ग समुन्नति कार्यक्रम	1
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य पेय-पदार्थ निगम लिमिटेड	1

प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य लघु उद्योग विकास निगम	1
प्रबंध निदेशक, मैसूर मिन्नरल्स लिमिटेड	1
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक हथकरघा विकास निगम	1
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक ग्रामीण अवसंरचना विकास निगम	1
प्रबंध निदेशक, कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण निदेशालय	1
प्रबंध निदेशक, कावेरी नीरावरी निगम लिमिटेड	1
प्रबंध निदेशक, कावेरी जल भाग्य निगम लिमिटेड	1
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक शहरी अवसंरचना विकास निगम	1
प्रबंध निदेशक, बीईएससीओएम	1
प्रबंध निदेशक, एचईएससीओएम	1
प्रबंध निदेशक, जीईएससीओएम	1
प्रबंध निदेशक, सीएचईएससीओएम	1
निदेशक, नगरपालिका प्रशासन	1
निदेशक, पर्यटन	1
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड	1
आयुक्त, हुबली-धारवाड़ नगर निगम	1
आयुक्त, मैसूर नगर निगम	1

1.	कुल वरिष्ठ इयूटी पद	171
2.	सीडीआर उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं	68
3.	एसडीआर उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं	42
4.	टीआर उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	5
5.	एलआर और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	28
6.	भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1,2,3 और 4 के 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं	95
7.	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1+2+3+4+5-6)	219
	कुल प्राधिकृत पद संख्या	314

[सं.11031/2/2013-अ.भा.से.-II(क)]

मनोज कुमार द्विवेदी, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी (1):—इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, कर्नाटक संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 299 थी।
 टिप्पणी (2):—मुख्य विनियम दिनांक 22.10.1955 की एस आर ओ सं. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात्, ये कर्नाटक संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित सा.का.नि.संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किए गए :

क्र. सं.	सा.का.नि. सं.	तिथि	क्र. सं.	सा.का.नि. सं.	तिथि
1.	377(अ)	26.8.74	11.	925	17.10.81
2.	1349	21.12.74	12.	332(अ)	15.4.83
3.	228	22.2.75	13.	34	21.1.84
4.	292(अ)	23.5.75	14.	1277(अ)	27.12.86
5.	7(अ)	1.1.76	15.	89	14.2.87
6.	25(अ)	17.1.76	16.	841	14.11.87
7.	821(अ)	27.9.76	17.	716	1.12.90
8.	23(अ)	30.1.80	18.	646	9.11.91
9.	219(अ)	21.4.80	19.	193	9.5.92
10.	46(अ)	5.2.81	20.	587	26.12.92
21.	94(अ)	11.2.94	26.	461(अ)	25.6.1999
22.	442	3.9.94	27.	381	29.10.2004
23.	319(अ)	31.3.95	28.	415(अ)	05.06.2007
24.	554	14.12.96	29.	900(अ)	30.12.2008
25.	739(अ)	31.12.97	30.	188(अ)	24.03.2009

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, 22nd January, 2014

G.S.R. 44(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Karnataka, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:-

1. (i) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of cadre Strength) Amendment Regulations, 2014.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading "Karnataka" and the entries occurring there under, the following shall be substituted namely:-

"Karnataka

Senior Duty Posts under the State Government	171
Chief Secretary to Government	1
Additional Chief Secretary	1
Additional Chief Secretary and Development Commissioner	1
Additional Chief Secretary, Home Department	1
Additional Chief Secretary, Forests, Ecology and Environment Department	1
Additional Chief Secretary, Finance Department	1
Additional Chief Secretary, Urban Development Department	1
Additional Chief Secretary, Energy Department	1
Chief Electoral Officer & E/o Principal Secretary to Govt. DPAR(Elections)	1

295 GI/19-2